पत्रांकः–9 / वि0प0–11–01 / 2017, सा0प्र0................................... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक.........................

विषयः– **खिलाड़ी कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–585 दिनांक–13.01.2016 द्वारा अधिसूचित बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवाशर्त) नियमावली, 2015 के नियम–3 (4) (i) में यह प्रावधान है कि खिलाड़ी सरकारी सेवकों को नियुक्ति के उपरांत राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर उनकी अगली वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि के बराबर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि, व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी। यह राशि पूरे सेवाकाल में जारी रहेगी और सेवा निवृति तक व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होगी। अतिरिक्त वेतन वृद्धि पर मंहगाई भत्ता सहित अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।''

अतः अनुरोध है कि खिलाड़ी कर्मियों से आवेदन प्राप्त होने पर उक्त नियम के आलोक में अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने की कार्रवाई द्रुत गति से करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवाशर्त) नियमावली, 2015

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– वि0प0–11–01 / 2017, सा0प्र0 ......13547...... / पटना, 15, दिनांक......9.10.18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

9.10.2018
सरकार के अवर सचिव।

D:/SHREE/CABINET

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 13.1. 2016

संख्या–3/एम0–32/2015सा0प्र0 585 /भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य की सेवा में नियुक्त खिलाड़ी सरकारी सेवकों की सेवा–शर्त्तों के अवधारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में, जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ii) 'खिलाड़ी सरकारी सेवक' से अभिप्रेत है उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न नियमावलियों/संकल्पों अथवा परिपत्रों के आलोक में नियुक्त खिलाड़ी सरकारी सेवक। इसमें वैसे सरकारी सेवक भी शामिल समझे जायेंगे जिनकी नियुक्ति उक्त नियमावली/संकल्पों अथवा परिपत्रों के आलोक में नहीं हुई हो, परंतु विगत कई वर्षों से वे विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/अखिल भारतीय असैनिक सेवा प्रतियोगिताओं में राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों की ओर से भाग ले रहे हों।

   (iii) 'खेल विधा' से अभिप्रेत है बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में 'चयनित खेल विधा' के रूप में परिभाषित एवं उक्त नियमावली की अनुसूची–1 में वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में शामिल खेल विधा।

(iv) 'खेल प्रतियोगिताओं ' से अभिप्रेत है वैसी खेल प्रतियोगितायें जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित हैं।

(v) ' राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं ' से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडेरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/टूर्नामेंट जैसी प्रतियोगितायें तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'नेशनल गेम्स'।

(vi) 'अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं' से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगितायें, जिसमें प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित सरकारी सेवक का चयन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडेरेशन अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा किया गया हो।

3. **खिलाड़ी सरकारी सेवकों को देय सुविधायें।**– नियुक्ति के उपरांत खिलाड़ी सरकारी सेवक, प्रदर्शन के आधार पर, निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे:–

(1) कार्यालय अवधि में अभ्यास के लिए छुट्टी।– अभ्यास के अभाव में, खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है, अतएव ऐसे सभी खिलाड़ी सरकारी सेवकों को, जो नियमित रूप से मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय/अखिल भारतीय असैनिक सेवा प्रतियोगिताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नियुक्ति के उपरांत नियमित अभ्यास की सुविधा प्रदान करने हेतु सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि की समाप्ति के दो घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी। यह अनुमति उनके द्वारा किसी वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/अखिल भारतीय असैनिक खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर भाग लेने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के आधार पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जा सकेगा। यदि कोई खिलाड़ी सरकारी सेवक किसी वर्ष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/अखिल भारतीय असैनिक खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर भाग लेने का प्रमाण पत्र उपलब्ध

कराने में असमर्थ रहता है तो (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवक को इस सुविधा से वंचित कर दिया जा सकेगा।

(2) विशेष सवैतनिक छुट्टी। – राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खिलाड़ी सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने अथवा ऐसी किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए pre-participation coaching camp के लिए चयनित होने अथवा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जैसे राष्ट्रीय खेल संस्थानों के किसी कोर्स में भाग लेने हेतु चयनित होने पर निम्नरूपेण सवैतनिक छुट्टी देय होगी :–

(I) खिलाड़ी सरकारी सेवकों को खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण कार्यकमों एवं सांस्कृतिक कार्यकमों में भाग लेने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का 'विशेष आकस्मिक छुट्टी' निम्नलिखित आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी :–

(i) राज्यस्तरीय एवं अंतर्राज्यस्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु;

(ii) जब सरकारी सेवक का इन खेलों में सम्मिलित होने के लिए चयन किया जायेगा;

(iii) 'विशेष आकस्मिक छुट्टी' मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों द्वारा चयन तथा अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा;

(iv) यदि खेल सरकारी महत्त्व के हों, जो अन्तर्राज्य, इन्टर जोनल या इन्टर सर्किल के आधार पर खेले जाते हैं, तथा उन स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए सरकारी सेवक राज्य, जोन तथा सर्किल द्वारा मनोनीत किए जाते हों;

(v) यदि सरकारी सेवक प्रतिनिधि की हैसियत से चयनित न होकर, व्यक्तिगत हैसियत से भाग लेने हेतु चुना जाता है, तो वह इस सुविधा का हकदार नहीं होगा;

(vi) 'विशेष आकस्मिक छुट्टी' संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी;

(vii) राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संघों के पदाधिकारियों एवं रेफरी/निर्णायकों को भी खेल संघों की बैठकों में भाग लेने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में 5 (पाँच) दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकेगी।

(II) विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं/प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने हेतु राज्य के खिलाड़ी सरकारी सेवकों को एक कलेण्डर वर्ष में बहुधा उपर्युक्त उपनियम– (2)(I) में प्रावधानित 30 (तीस) दिनों की सीमा से अधिक अवधि तक कार्यालय से बाहर रहने की आवश्यकता होती है। अतएव राज्य सरकार के खिलाड़ी सरकारी सेवकों को भी किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने अथवा ऐसी किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए pre-participation coaching camp के लिए चयनित होने अथवा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जैसे राष्ट्रीय खेल संस्थानों के किसी कोर्स में भाग लेने हेतु चयनित होने पर उसमें भाग लेने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अनुशंसा पर ऐसे खिलाड़ी सरकारी सेवकों को उपर्युक्त उपनियम– (2)(I) में यथा उल्लिखित 30(तीस) दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सीमा से अधिक अवधि के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30(तीस) दिनों की 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' स्वीकृत की जा सकेगी।

(III) राज्य सरकार के खिलाड़ी सरकारी सेवकों को यदि किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने अथवा ऐसी किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए pre-participation coaching camp के लिए चयनित होने अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संस्थानों के किसी कोर्स में भाग लेने हेतु चयनित होने पर उसमें भाग लेने के लिए उपर्युक्त उपकंडिका– (2) (II) में उल्लिखित 30 दिनों की 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' से भी अधिक अवधि के लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा case-to case आधार पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की

अनुशंसा से ऐसे खिलाड़ी सरकारी सेवकों को उक्त 30(तीस) दिनों से अधिक अवधि के लिए भी आवश्यकतानुसार 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' प्रदान की जा सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए इस प्रकार दी जाने वाली 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(iv) ऐसी अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टियों की स्वीकृति संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवकों को उनके द्वारा चयन संबंधी पत्र समर्पित करने पर और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अनुशंसा पर ही देय होगी। संबंधित प्रतियोगिताओं की समाप्ति के उपरांत अथवा pre-participation coaching camp की समाप्ति के उपरांत अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संस्थानों के किसी कोर्स में भाग लेने हेतु चयनित होने पर उसमें भाग लेने के उपरांत, खिलाड़ी सरकारी सेवकों द्वारा उसमें भाग लेने का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किये जा सकने की स्थिति में उक्त 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' की अवधि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति समझी जायेगी और इसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

(3) **यात्रा भत्ता।**– उपनियम– (2) में वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवक कार्य पर माने जायेंगे और उन्हें उनके वेतनमान के लिए वित्त विभाग द्वारा, समय–समय पर, यथा विनिश्चित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(4) **वेतन वृद्धि (व्यक्तिगत वेतन)।**– (i) खिलाड़ी सरकारी सेवकों को नियुक्ति के उपरांत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर उनकी अगली वेतन वृद्धि की समतुल्य राशि के बराबर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि, व्यक्तिगत वेतन के रूप में, स्वीकृत की जा सकेगी। यह राशि पूरे सेवाकाल में जारी रहेगी और सेवा निवृत्ति तक व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय

होगी। अतिरिक्त वेतन वृद्धि पर मंहगाई भत्ता सहित अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) खिलाड़ी सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगितओं में पदक प्राप्त करने पर ऐसी 1 (एक) अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर ऐसी 2 (दो) अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जा सकेंगी।

(iii) किसी खिलाड़ी सरकारी सेवक को पूरे सेवा काल में ऐसी 5 (पाँच) से ज्यादा अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी।

(5) पारी से पहले प्रोन्नति (Out of turn Promotion)।– (i) नियुक्ति के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर अथवा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की नियमित खेल विधाओं में नया कीर्तिमान बनाते हुए पदक जीतने वाले खिलाड़ी सरकारी सेवकों को 'पारी से पहले प्रोन्नति' (out of turn promotion) दी जा सकेगी।

(ii) किसी खिलाड़ी सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में ऐसी प्रोन्नति नहीं दी जा सकेगी तथा उसके पूरे सेवा काल में तीन (3) बार से अधिक 'पारी से पहले प्रोन्नति' (out of turn promotion) नहीं दी जा सकेगी।

(iii) 'पारी से पहले प्रोन्नति' (out of turn promotion) संबंधित सरकारी सेवक के पद सोपान में दी जायेगी और इसके लिए विभागीय प्रोन्नति समिति वही होगी जो संबंधित पद पर प्रोन्नति के लिए संबंधित विभाग द्वारा गठित हो। पद उपलब्ध नहीं रहने पर यह प्रोन्नति संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवक के पद को ही पद सोपान के अगले पद के रूप में उत्क्रमित कर यह प्रोन्नति दी जा सकेगी। इस प्रकार उत्क्रमित पद संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवक द्वारा अगले पद पर प्रोन्नति अथवा सेवा त्याग अथवा सेवा निवृत्ति द्वारा पद रिक्त करने तक उत्क्रमित किया जाता रहेगा।

(iv) 'पारी से पहले प्रोन्नति' (out of turn promotion) के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति के लिए अपनायी जाती हो; परंतु इसके लिए संबंधित खिलाड़ी सरकारी सेवक को संबंधित पद की शैक्षणिक अर्हता तथा आवश्यक कालावधि में छूट दी जा सकेगी।

(v) 'पारी से पहले प्रोन्नति' (out of turn promotion) प्राप्त खिलाड़ी सरकारी सेवक की वरीयता संबंधित पद पर उस वर्ष नियमित प्रोन्नति प्राप्त सरकारी सेवकों से नीचे विनिश्चित की जायेगी।

4. **प्रकीर्ण।**– खिलाड़ी सरकारी सेवक की सेवा की अन्य शर्तें राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगी।

5. **निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

6. **निरसन एवं व्यावृति।**– (i) खिलाड़ी सरकारी सेवकों को देय सुविधाओं के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/अनुदेश निरसित किए जाते हैं।

(ii) ऐसा निरसन होते हुए भी, ऐसे संकल्प, परिपत्र अथवा अनुदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–32/2015 सा0 585 / पटना, दिनांक 13.1.2016
प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–32/2015 सा0 585 / पटना, दिनांक 13.1.2016

प्रतिलिपि सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2016

(अरूण प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 13.1.2016

संख्या–3/एम–32/2015सा0प्र0 586/अधिसूचना सं0 585 दिनांक–13.1.16 के तहत् निर्गत बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna-15, Date 13.1. 2016

No.3/M-32/2015GAD 585 / In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for determination of service conditions of the Sportsperson Government servants appointed in the service of the State-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These Rules may be called the Bihar Sportsperson Government Servant (Service Conditions) Rules, 2015.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions.**- In these Rules, unless the context otherwise requires –

(i) 'Government' means the Government of Bihar;

(ii) 'Sportsperson Government Servant' mean the Sportsperson Government servants, appointed in the light of the Rules/ Resolutions or Circulars for the appointment of outstanding sportspersons. Government servants, who may not been appointed in the light of the Rules/Resolutions or Circulars for the appointment of outstanding sportspersons, but are participating in various National/ International/ All India Civil Services Tournaments for different departments/ Offices of the State, shall also be deemed to be included in it;

(iii) 'Sports discipline' means sports discipline of the sports competition defined as selected sports discipline in of the Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014 and described in the schedule-1 of the said Rules.

(iv) 'Sports Competitions' means such sports competitions as defined in the Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014.

(v) 'National Sports Competitions' means competitions such as National Championships/Tournaments being conducted by the recognized National Sports Federations and National Games conducted by Indian Olympic Association.

(vi) 'International Sports Competitions' means Sports events recognized by the International Sports Organizations, in which selection of the sportsperson for the participation has been made by the Sports Organisations recognized by the National Sports Federation or Indian Olympic Association.

3. **Facilities admissible to the Sportsperson Government Servants.-** After appointment sportsperson Government Servants

will be entitled for the following facilities on the ground of performance –

(1) **Leave for practice in office hour.**- Without practice, Excellent result cannot be expected from a sportsperson, therefore, all such sportsperson Government Servant, who are regularly representing the state in the recognized State Level/ National/ International / All India Civil Services Sports Competitions, after appointment, may be allowed to leave office two (2) hours before the closing hour of the office for practice. This facility will be allowed with the approval of Head of the Department, on the ground of submission of participation certificate in recognized National/ International/ All India Civil Services sports competitions in such year. If sportsperson Government Servant fails' to submit above mentioned participation certificates (except in special circumstances) in any year, he may be deprived from this facility.

(2) **Special leave with pay.**- To boost up Sports talents in the State, Leave with pay may be granted in the following manner to the Sportsperson Government Servants for participating in sports events of National/ International importance or on his/her selection for pre-participation coaching camp for such sports events or on his/her selection for any course in National Sports Institutes, such as Netajee Subhash National Sports Institute:-

(I) Special Casual leave of maximum Thirty (30) days in a calendar year may be granted to a Sportsperson Government Servant for participating in sports competitions/ training program and cultural events on the following grounds:-

(i) for participation in state level and interstate level sports competitions;

(ii) when Government Servant will be selected for participating in such sports events;

(iii) 'special casual leace may be granted on the ground of selection and recommendation by the sports organizations;

(iv) if the sports events are of Government importance, which are organized on Interstate level, Inter zonal level or Inter circle level and the Government Servant are being nominated to participate in such events from the state, zone or circle;

(v) if the Government servants are selected for participating in his personal capacity and not selected in capacity of representative he will not be entitled for this facility.

(vi) 'special casual leave' will be granted by the department concerned.

(vii) 'special casual leave' for 5 (five) days in a calendar year may also be granted to the officers and referees/umpires of recognized sports federation to participate in the meetings of the sports federations.

(II) Sportsperson Government Servant may sometime require abstaining from office for more than 30 (thirty) days period as provided in Sub rule- (2)(I) above for participating in various sports competitions/training camps of national/ international importance. Therefore, 'Additional Special Casual leave' for 30 (thirty) days in a calendar year may be granted for the period exceeding to the 30 (thirty) days 'special casual leave' as mentioned in sub rule- (2)(I) above to the Sportsperson Government Servant on recommendation of the Department of Art, culture and Youth for participating

in the sports competitions of national/international importance or on being selected for pre-participation coaching camp for any such sports events or on being selected for participation in any course in National Sports Institutes such as Netajee Subhash National Sports Institute.

(III) If sportsperson Government Servants are required to take leave more than 30 (thirty) days 'additional special casual leave', as mentioned in above sub rule- (2)(II), for participating in the sports competitions of National/International importance or on being selected for pre-participation coaching camp for any such sports events or on being selected for any course in National Sports Institutes such as Netajee Subhash National Sports Institute, the department concerned on case-to-case basis may grant more than 30 (thirty) days 'additional special casual leave' for the same on recommendation of the Department of Art, Culture and Youth. There will be no maximum limit for such 'additional special casual leave' to be granted for International sports competitions.

(IV) Such 'additional special casual leaves' may be granted on submission of selection letter by the concerned sportsperson Government servants on the recommendation of the Department of Art, Culture and Youth. A participation certificate has to be submitted by the concerned sportsperson Government servants after completion of such sports competition or after completion of pre-participation coaching camp or after completion of the course of National Sports Institutes, recognized by Indian Sports Authority. In case of non submission of such participation certificate by

the concerned sportsperson Government servants, such casual leave may be treated as un-authorized absence and departmental proceeding may be initiated for the same.

(3) **Traveling allowance.**- Sportsperson Government servant will be treated on duty during the participation in the sports competition mentioned in sub rule- (2) and traveling allowance will be admissible to them as may be determined by the Finance Department, from time to time for their pay scales.

(4) **Increment (Personal Pay).**- (i) Sportsperson Government servants will be awarded one additional increment equivalent to the amount of his/her next increment as Personal pay for Medal winning performance in National or International sports competitions after appointment in the Government service. This amount will continue till his/her service period and will be payable as Personal pay till the retirement. No allowances, including DA will be admissible on this additional increment.

(ii) Sportsperson Government servant may be awarded such 1 (one) additional increment for medal winning performance in National sports competitions and such 2 (two) additional increments for medal winning performance in International sports competitions

(iii) No Sportsperson Government Servant shall be awarded more than 5 (five) such increments in his entire service period.

(5) **Out of turn promotion.**- (i) Sportsperson Government servants may be awarded out of turn promotion for medal winning performance after appointment in the Government service, in International sports competitions or for Record breaking Medal winning performance in National Games conducted by Indian Olympic Association in the

regular disciplines of Olympics, Commonwealth Games, Asian Games and World Championships.

(ii) This out of turn promotion would not be awarded to the probationer Sportsperson Government Servant and not more than three out of turn promotion would be given in entire service period of such Government servant.

(iii) Out of turn promotion will be given of the post of hierarchy of the concerned government servant and the DPC will be same as constituted for the promotion on the concerned post. In case of non availability of post of promotion, concerned sportsperson government servant may be awarded promotion by upgrading his post as next post in hierarchy. This upgraded post may be upgraded until the availability of post by promotion of concerned sportsperson government servant or by his resignation from service or by his retirement.

(iv) For out of turn promotion procedure will be the same as is followed for regular promotion to the concerned post :-

Provided that, relaxation in educational qualification and required 'kalawadhi' for concerned post may be given to the sportsperson government servant.

(v) Seniority of the out of turn promoted sportsperson government servant to the concerned post may be determined by placing him below the regularly promoted government servant in the year.

4. **Miscellaneous.-** Other service conditions of Sportsperson Government Servants will be governed by the Rules, Regulations or Orders applicable to the officers/employees appropriate level of the state government.

5. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to interpretation of any of the provisions of this Rule, the matter shall be determined by the

General Administration Department after the consultation with the Law Department, and its decision shall be final.

6. **Repeal & Savings.-** (1) All resolutions/ circulars/ instructions issued previously in respect of admissible facilities to sports person government servant are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken under the power conferred by the said resolutions/ circulars/ instructions shall be deemed to have been taken under these Rules, as if these Rules were in force on the day on which such action was taken.

By order of the Governor of Bihar

(Arun Prakash)

Joint Secretary to Government